142

COURT FEE INDIA TWO RUPEES

CANCELLED

C.F. 15/-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर [म. प्र.]

R. 2718-III/02

प्रकरण क्र. /2002 /निगरानी

श्री पी. एन. शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि. 22/11/02 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

22 NOV 2002

रामनारायण पुत्र शोभाराम जाति ब्राम्हण
निवासी - ग्राम किशनगढ़ी तहसील कैलारस,
जिला मुरैना [म.प्र.] -- [illegible] प्रार्थी

विरुद्ध

1- भोगीराम पुत्र बेदरिया जाति हरिजन
निवासी - भट्टा के पास गोपालपुरा, मुरैना

2- सुन्दरिया पुत्री बेदरिया जाति हरिजन
निवासी ग्राम रामलाल का पुरा तहसील जौरा
जिला मुरैना [म.प्र.]

3- मुल्लो पुत्री बेदरिया जाति हरिजन
निवासी ईंट भट्टा के पास, गोपालपुरा, मुरैना

4- भगवती पुत्री बेदरिया जाति हरिजन
निवासी ईंट भट्टा के पास, गोपालपुरा-मुरैना

5- ल्होईबाई पुत्री बेदरिया जाति हरिजन
निवासी ग्राम जापथाप तहसील जौरा
जिला मुरैना [म.प्र.] ---- [illegible]

[illegible] ---- प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना, के प्रकरण क्र. 117/2001 - 2002/ अपील आदेश दिनांक 30-08-2002 अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959

- - - -

श्रीमानजी,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी सेवा में निम्नानुसार प्रस्तुत है -

निगरानी के तथ्य :

1- यहकि निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम किशनगढ़ी तहसील कैलारस जिला मुरैना के अन्तर्गत स्थित भूमि सर्वे क्र. 54 रकबा 0.77

.......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2718/तीन2002 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार कैलारस में अपने प्रकरण क्रमांक 43/94–95/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30.10. 1995 द्वारा ग्राम किशनगढी मे स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 54 रकवा 0.77 आरे पर संहिता की धारा 190, 110 के तहत् अनावेदक भोगीराम आदि के स्थान पर रामनारायण को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान कर दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 26/2000–01 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 04.03.2002 से तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील क्रमांक 117/01–02 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 30.08.2002 से अस्वीकार की गयी इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के	

अभिभाषको के तर्क सुने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित किये है। वह स्थिर रखे जाने योग्य नही है। क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा विधि एवं प्रक्रिया का विधिवत् पालन किया जाकर आदेश पारित किया है। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के अपास्त किया है। अतः ऐसा आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने एवं तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने के संबंध में निवेदन किया गया है।

5– अनावेदकगण के विरूद्व प्रकरण में पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है, ऐसी स्थिति में प्रकरण का निराकरण अभिलेख एवं गुण दोषो के आधार पर किया जा रहा है।

6– आवेदक के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम किसनगढी तहसील कैलारस में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 54 रकवा 0.77 आरे को मौखिक पट्टे पर अनावेदकगणो से आवेदक द्वारा कृषि कार्य हेतु प्राप्त की गयी थी। और तब से आवेदक द्वारा स्वंय के श्रम व हलवेलो से खेती करके अपना एवं अपने परिवार कर भरण–पोषण किया जाता रहा है। समय के प्रभाव से आवेदक को संहिता की धारा 190, 110 के अन्तर्गत भूमि स्वामी अधिकार अर्जित हो गये थे। और इसी आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा विधि एवं प्रक्रिया का पालन करते हुये आवेदक को भूमि स्वामी अधिकार दिये गये है। अपर आयुक्त न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विचारण न्यायालय का

आदेश सायक्लोस्टाइल प्रोफर्मा पर है ऐसी स्थिति में विशेष तौर पर धारा 190 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरणों में उचित नहीं है। जबकि संहिता की धारा 190 में स्पष्ट किया गया है, कि जहाँ कोई भूमि स्वामी जिसकी कि भूमि सिवाय उन प्रवर्गो के जोकि धारा 185 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) की मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट है। धारा 185 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गो में से किसी भी प्रवर्ग के मौरूसी कृषक द्वारा धारित है। धारा 189 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन उस कलावधि के भीतर नहीं करता है। जोकि उसमें अधिकथित है, वहाँ उस मौरूसी कृषक को, उसके द्वारा ऐसे भूमि स्वामी से धारित भूमि के संबंध में भूमि स्वामी के अधिकार पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ प्रोदभूत हो जायेगे। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर जो आदेश पारित किया है। उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2002 एवं अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/2000–01 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 04.03.2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार कैलारस द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/94–95/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30.10.1995 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य